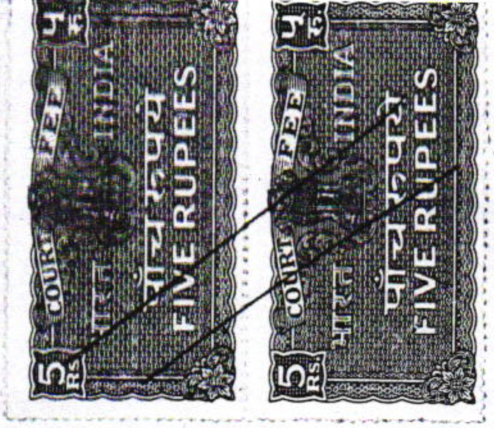


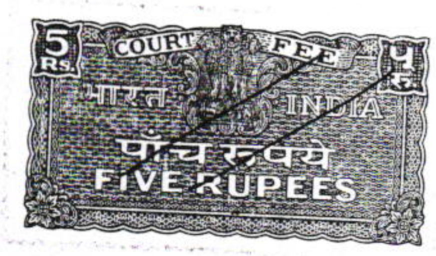


राजस्व द्वितीय पुनरीक्षण क्र०

मानननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

R-2361-I/2000

मानसिंह पिता देवीसिंह राजपूत
आयु ४५ वर्ष, धन्धा कृषि
निवासी ग्राम मुंडी, तह० व जिला इंदौर -- प्रार्थी

विरुद्ध

हुकमसिंह पिता हिन्दूसिंह राजपूत
निवासी ग्राम मुंडी, तह० व जिला इंदौर -- प्रतिप्रार्थी

श्री किशन [illegible]
[illegible]
दि. 5-12-2000
[illegible]
पर पेश।

निगरानी आवेदनपत्र धारा ५० मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता के तहत

प्रार्थी यह निगरानी माननीय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग, इन्दौर के निगरानी प्रकरण क्रमांक १३२५/६७-६८ में पारित आदेश दिनांक ३१/८/२००० से असन्तुष्ट होकर निम्न तथ्य एवम् आधारों पर सादर प्रस्तुत करता है :--

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2361–एक / 2000 जिला इंदौर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 29–3–2016 | आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–2000 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया गया है और स्थल निरीक्षण के समय आवेदक उपस्थित हुआ है, परन्तु उसके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं । तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ता होना एवं उसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाया गया है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, निगरानी निरस्त की गई है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |